

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना।

पटना, दिनांक-19/01/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष- 0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं अन्य विषय शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय अधिसूचना संख्या- 392, दिनांक- 11.09.2014 द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त गठन के पश्चात् पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के विभिन्न कार्यों यथा- यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं संविदा सेवाएँ हेतु राशि का प्रबंध चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष- 0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं अन्य विषय शीर्षों में विभागीय पत्रांक- 6420, दिनांक- 26.09.2017 द्वारा उपर्युक्त वर्णित विपत्र कोड में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त की गई है। तदनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०-.....95 दिनांक-19/01/18 के आलोक में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

(राशि रु० में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	0002.11.01-यात्रा व्यय	5,01,000.00	5,01,000.00
2	0002.13.01-कार्यालय व्यय	1,55,43,000.00	1,55,43,000.00
3	0002.13.04-विद्युत प्रभार	6,01,000.00	6,01,000.00
4	0002.28.02-संविदा सेवाएँ	2,75,11,000.00	2,75,11,000.00
	योग	4,41,56,000.00	4,41,56,000.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में आवंटित राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय। राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त है, जो विभागीय पत्रांक- 6420, दिनांक- 26.09.2017 द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित है।
3. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
4. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।
5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 मांग सं०- 48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. आवंटित राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटनादेश की प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (बजट शाखा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश सं.

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापक-2ब०/बजट-14-15/17 96 /न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 19/01/18
 प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 19/01/18

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष- 0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं अन्य विषय शीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

विभागीय अधिसूचना संख्या- 392, दिनांक- 11.09.2014 द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया गया है। उक्त गठन के पश्चात् पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के विभिन्न कार्यों यथा- यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय एवं संविदा सेवाएँ हेतु राशि का प्रबंध चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष- 0002-पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 के अन्तर्गत यात्रा व्यय एवं अन्य विषय शीर्षों में विभागीय पत्रांक- 6420, दिनांक- 26.09.2017 द्वारा उपर्युक्त वर्णित विपत्र कोड में पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त की गई है। तदनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त कुल ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के लिए निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रु० में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0002.11.01-यात्रा व्यय	5,01,000.00	5,01,000.00
2	0002.13.01-कार्यालय व्यय	1,55,43,000.00	1,55,43,000.00
3	0002.13.04-विद्युत प्रसार	6,01,000.00	6,01,000.00
4	0002.28.02-संविदा सेवाएँ	2,75,11,000.00	2,75,11,000.00
	योग	4,41,56,000.00	4,41,56,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹4,41,56,000.00 (चार करोड़ एकतालीस लाख छप्पन हजार रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ-4 में स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय। राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त है, जो विभागीय पत्रांक- 6420, दिनांक- 26.09.2017 द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित है।
3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 428, दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 942, दिनांक- 01.09.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।
5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2217010010002 मांग सं०- 48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/समूह का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2018 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट-14-15/17 के पृष्ठ सं०- 33/टि० पर दिनांक- 12.01.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 34/टि० पर दिनांक- 15.01.2018 को प्राप्त है।
8. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति वित्त (बजट शाखा) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-15/17

95

/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-19/01/18

प्रतिलिपि:-वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2 कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दे जस्य।

सरकार के विशेष सचिव।